न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–1632/2023

राज्य बनाम अनीता पाल आदि

दिनांक–22.08.2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट रिकाल हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुना। आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल द्वारा 10,000/–रू० का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर उनके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट आदेश अपास्त किया जाता है। पत्रावली आज आरोप विरचन हेतु नियत है। मैंने विद्वान लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर सुना।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित तथ्यों एवं अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह तथ्य अभिकथित किया गया कि वह अभियुक्तगण से सम्बन्धित आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने के लिए प्रस्थापना करते है। विद्वान लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्को पर सम्यक सुनवाई व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विचारोपरान्त मेरी राय में ऐसी उपधारण करने का आधार है कि अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल को धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराध किया है। अतः अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल के विरूद्ध धारा– 306 भा०दं०सं० का आरोप बनाने का पर्याप्त आधार है।

अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल के विरूद्ध धारा–**306 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा कथित आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की माँग की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–04–09–2024 को पेश हो।

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2024.08.23 13:22:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, raebareli

<u>न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।</u>

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–1632/2023

<u>राज्य बनाम अनीता पाल आदि</u>

<u>आरोप</u>

मैं, अमित कुमार पाण्डे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली आप अभियुक्तगण अनीता पाल, दयाराम पाल, रामअवध पाल को निम्न अरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक–01.07.2023 को समय– अदम तहरीरी वृहद स्थान मकान नं०–473, फेज–2, तुलसीनगर, जिला–रायबरेली में आप अभियुक्तगणों ने वादिनी मुकदमा के पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जिसकी वजह से वादिनी मुकदमा के पति ने दिनांक 01.7.2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार आप अभियुक्तगणों ने **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा–306** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांक–22.08.2024</u>

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया, उसने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा विचारण चाहा।

<u>दिनांक–22.08.2024</u>

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।